



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ2()परावि/प्रशा.1/स्था./पद./एपीओ/संस्था/2016/पार्ट-2/274) जयपुर दिनांक:- 08/10/2023

—:आदेश:—

विभागीय आदेश क्रमांक 2675 दिनांक 22.09.2023 की क्रम संख्या 23 एवं विभागीय आदेश क्रमांक 2732 दिनांक 07.10.2023 की क्रम संख्या 8 के द्वारा श्री नरसिंगदास विकास अधिकारी पंचायत समिति केरु जिला जोधपुर के किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन को प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है श्री नरसिंगदास विकास अधिकारी पंचायत समिति केरु जिला जोधपुर के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
7. जिला कलक्टर, संबंधित।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
9. संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
10. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

Signature valid

Digitally signed by Ghanshyam
Sharma
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2023.10.08 20:31:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4870441

